

उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू—वापसी अपील वाद संख्या—६२/२०२१

कुलदीप प्रजापति बनाम् महेन्द्र मुण्डा

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई<sup>1</sup>  
कार्रवाई के बारे में  
निष्पाणी तारीख

13.12.2022

इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी कुलदीप प्रजापति, पिता—ननका प्रजापति, निवास ग्राम—जयनगर, पो०—पतरातू थाना—पतरातू जिला—रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू—वापसी वाद संख्या—०२/२०१७—१८ महेन्द्र मुण्डा बनाम् कुलदीप प्रजापति में दिनांक—३१.०८.२०२१ को पारित आदेश के विरुद्ध U/S - 215(5) C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा—कोतो थाना—पतरातू जिला—रामगढ़ के खाता सं०—०७ प्लॉट न०—४१२ रकवा—०.४५ ए० मध्ये रकवा—०.१५ ए० भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा कोतो, थाना — पतरातू के खाता न०—०७ प्लॉट न०—४१२ रकवा—०.४५ ए० मध्ये रकवा ०.१५ ए० भूमि खतियान में बकास्त दर्ज है। अपीलार्थी का कहना है कि मौजा—कोतो, के खाता न०—०७ खतियान में बकास्त दर्ज है। विपक्षी ग्राम—कोतो का स्थानीय निवासी नहीं है। जबकी C.N.T. Act-1908 की धारा—४६(४-ए) के अनुसार रैयत को संबंधित ग्राम का Occupancy रैयत होना अनिवार्य है। मौजा—कोतो के खाता सं०—०७, बकास्त भूमि खेवटदार बालक मानकी खेवटदार संख्या—२/४ दर्ज है। खेवटदार ने उक्त भूमि मदन गोपाल प्रसाद पिता—नागेश्वर साव को बदोबस्त कर दिये तत्पश्चात मदन गोपाल प्रसाद ने केवाला सं०—४८६, दिनांक—२९.०१.१९८६ से भूमि महिपाल सिंह, पिता—बुलाकी सिंह को बिक्रय कर दिये। महिपाल सिंह ने केवाला सं०—२३०९, दिनांक—२९.०७.२०१३ से अपीलार्थी को खाता सं०—०७, प्लॉट न०—४१२, रकवा—०.१५ ए० भूमि बिक्रय कर दिये। जिसे अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या—४६८/२०१३—१४ से अपीलार्थी के नाम दाखिल खारिज कर रसीद

निर्गत किया गया। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ के पारित आदेश को रद्द करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। द्वितीय पक्ष को नोटिस मिलने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया जिसमें अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि मौजा-कोतो के खाता सं०-०७ प्लॉट न०-४१२ रकवा-०.४५ ए० मध्ये रकवा-०.१५ ए० भूमि सर्वे खतियान में बकस्त दर्ज है। इस वाद में विपक्षी का खतियानी रैयत से संबंध पर नाना खेवटदार बालक मानकी है। बालक मानकी खेवट संख्या-२/४ खेवटदार चालु पंजी-॥ के पृष्ठ संख्या-४६/। में ग्राम-कोतो खाता संख्या-०७/०२ बकस्त खाते में जमाबंदी रैयत सुरजन मुण्डा पिता-खेरिया मुण्डा के नाम से जमाबंदी कायम है। रसीद किस आधार पर कायम है, कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी की जमाबंदी दाखिल खारिज के केश संख्या-४६८/२०१३-१४ के आदेशानुसार पंजी-॥ में ८३/III पर कायम है। रसीद निर्गत हो रहा है। अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा यह प्रतिवेदित किया है कि प्लॉट न०-४१२, विपक्षी के दादा सुरजन मुण्डा के नाम से पंजी-॥ नहीं है। चूंकि प्रश्नगत भूमि बकस्त खाते की भूमि है। उक्त भूमि की जमाबंदी आदिवासी रैयत के नाम कैसे खुली स्पष्ट नहीं है।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है तथा अपीलार्थी के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश को यथावत् रखा जाय।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने द्वारा समर्पित आवेदन, प्राप्त अभिलेख का अवलोकन करने तथा अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मौजा-कोतो थाना-पतरातू जिला-रामगढ़ के खाता सं०-०७ प्लॉट न०-४१२ रकवा-०.४५ ए० मध्ये रकवा-०.१५ ए० सर्वे खतियान में बकस्त दर्ज है। बालक मानकी खेवट संख्या-२/४ खेवटदार चालु पंजी-॥ के पृष्ठ संख्या-४६/। में ग्राम-कोतो के खाता संख्या-०७/०२ प्लॉट सं०-५, ५४, ५६, २६८, ३०२, ३०३, ३९१, ४०५, ४१०, ७७, १४४, १६९, १८१, १८५, १९५, २६६, २६७, रकवा बिक्री के पश्चात ६.८६ ए० भूमि है। रैयत सुरजन मुण्डा, पिता-खेरिया मुण्डा के नाम से जमाबंदी कायम है का रसीद वर्ष-२०१४-१५ तक निर्गत है आवेदक के दादा सुरजन मुण्डा के नाम पंजी-॥ किस आधार पर कायम है। कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी की जमाबंदी दाखिल खारिज वाद सं०-४६८/२०१३-१४ के आदेशानुसार पंजी-॥ के पृष्ठ संख्या-८३/III पर कायम है। अपीलार्थी का केवाला सं०-२३०९, दिनांक-२९.०७.२०१३ से बिक्रेता महिपाल सिंह, पिता-स्व० बुलाकी सिंह हाल मुकाम बलकुदरा थाना-पतरातू जिला-रामगढ़ का ही इनका जमाबंदी ग्राम-कोतो के पृष्ठ संख्या-१६३/॥ में अनेक खाता संख्या-०७ रकवा-७.०१ ए० भूमि कायम है। उन्होंने भूमि मदन गोपाल प्रसाद पिता-नागेश्वर साव से दिनांक-२९.०१.१९६६ से केवाला से खरीदी है। इस भूमि पर घर बना है। आवेदक दिनांक-२९.०१.१९६६, ३१ वर्षों से

एवं 27.07.2013 से 35 वर्षों से बेदखल है। प्रथम पक्ष महेन्द्र मुण्डा के दादा सुरजन मुण्डा के नाम से पंजी-II के पृष्ठ संख्या-46/I पर जमाबंदी कैसे कायम हुआ, कोई राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। प्लॉट न०-412 उनके दादा सुरजन मुण्डा के नाम से पंजी-II नहीं है। चूँकी भूमि बकास्त खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत के अंतर्गत प्लॉट न०-412 दर्ज नहीं है एवं जमाबंदी रैयत के द्वारा बकास्त खाते की जमाबंदी कैसे खुली कागजात नहीं प्रस्तुत कर पाये। चूँकि भूमि आदिवासी खाते की है एवं आदिवासी खाते की भूमि 1966 में गैर आदिवासी को हस्तांतरण हुआ। अर्थात् अपीलार्थी द्वारा गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए हैं, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-46-4(ए) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से अंचल अधिकारी, पतरातू के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं किया गया है की भू-वापसी की कार्रवाई की जाय अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप समाहता, रामगढ़ द्वारा भू-वापसी वाद संख्या-02/2017-18 महेन्द्र मुण्डा बनाम कुलदीप प्रजापति में दिनांक-31.08.2021 को पारित आदेश को Set-aside करते हुए प्रश्नगत वाद भूमि सुधार उप समाहता, रामगढ़ को पुनरिक्षण हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। एवं निदेश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी, पतरातू से भू-वापसी का प्रतिवेदन स्पष्ट मतव्य के साथ प्राप्त करते हुए पुनः सुनवाई करते हुए आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

सचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शिवाली

13.12.2022  
उपायुक्ता,

रामगढ़।

शिवाली

13.12.2022  
उपायुक्ता,

रामगढ़।